बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/एम0क्रय0–1–18/1998 /स्वा0/पटना,दिनांक /डा0 सतीश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दवा भंडार सिविल सर्जन कार्यालय भोजपुर, आरा संप्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कैमूर को एम0 एस0 डी0 से अनियमित दवा क्रय के आरोप में तत्काल प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं0 442(9) दिनांक 04.04.05 द्वारा निलंबित किया गया तथा उन्हें विभागीय अधिसूचना सं0 1134(9) दिनांक 24.09.2010 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया है। डा0 सिन्हा के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0 1048(9) दिनांक 14.07.05 एवं संकल्प सं0 606(9) दिनांक 03.06.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के आधार पर विभागीय अधिसूचना सं0 552(9) दिनांक 29.6.2015 द्वारा डा0 सिन्हा को आरोपमुक्त किया गया है।

दिनांक 14.03.18 को डा0 सिन्हा द्वारा अपने निलंबन अवधि (दिनांक 04.04.05 से दिनांक 24.09. 2010 तक) को कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित करने के अनुरोध के साथ अभ्यावेदन समर्पित किय गया। जिसकी विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षा की गई तथा सक्षम प्राधिकार को अनुमोदन से निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

"डा0 सतीश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चि0 पदा0 सिविल सर्जन कार्यालय आरा, भोजपुर पुनः उपाधीक्षक सदर अस्पताल आरा, भोजपुर संप्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कैमूर, भभुआ के निलंबन अवधि (दिनांक 04.04.2005 से 24.09.2010 तक) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य शेष राशि देय नहीं होगा (लेकिन यह अवधि पेंशन प्रदायी होगी)।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांकः 841(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 06/08/2018

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / अवर सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, आरा, भोजपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/ सिविल सर्जन आरा (भोजपुर)/कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 सतीश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दवा भंडार सिविल सर्जन कार्यालय भोजपुर, आरा संप्रति अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\All Letter 2017\Notification.docx